[2019] 11 एस. सी. आर 725

ए.

भारत का राष्ट्रीय उच्च न्यायालय प्राधिकरण बनाम.

सैयदाबाद टी कंपनी लिमिटेड। और ओआरएस। (2009 की सिविल अपील संख्या 6958-6959)

बी.

अगस्त 27,2019

[एन**.** वी**.** रमना**,** मोहन एम**.** शांतनागौदर और अजय रस्तोगी**,** जे**.** जे**.]**

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956:धारा 3 जी (5)-मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 -धारा 11-मध्यस्थ की नियुक्ति-आवेदन यू/एस।3 केंद्र सरकार द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए 1956 के अधिनियम का जी (5)-यह आरोप कि केंद्र सरकार ने नियुक्ति के अनुरोध का जवाब नहीं दिया-इसके बाद, यू/एस द्वारा आवेदन दायर किया गया।11 1996 के अधिनियम-आवेदन की रखरखाव यू/एस।11 1996 के अधिनियम के अनुसार, एस।31956 के अधिनियम का जी (5)-आयोजित:जब विशेष कानून एक स्व-निहित संहिता निर्धारित करता है, तो सामान्य कानून के अनुप्रयोग को निहित रूप से बाहर रखा जाएगा-1956 की योजना अधिनियम, जो इस उद्देश्य के लिए अधिनियमित एक विशेष कानून है और केंद्र सरकार द्वारा एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए है।31956 के अधिनियम की जी (5) और धाराओं की उप-धारा (6)।3 जी स्वयं स्पष्ट करता है कि अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, मध्यस्थ सीमित उद्देश्य के लिए 1996 के अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते हुए विवाद का न्यायनिर्णयन करने का सहारा ले सकता है-इस प्रकार, अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (5) के तहत एक मध्यस्थ नियुक्त करने की विशेष रूप से केंद्र सरकार के पास निहित शक्ति को देखते हुए, एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अधिनियम 1996 की धारा 11 (6) के तहत दायर आवेदन को बनाए रखने योग्य नहीं है और अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को इस उद्देश्य के लिए लागू नहीं किया जा सकता है-उच्च न्यायालय द्वारा एक मध्यस्थ नियुक्त करने का आदेश।11 1996 के अधिनियम के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ विवाद पर निर्णय ले सकता है और निर्णय ले सकता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

जी.

अभिनिर्धारित किया कि **1.1** राष्ट्रीय उच्च न्यायालय अधिनियम, **1956** एक व्यापक संहिता और एक विशेष अधिनियम है जो न केवल मुआवजे का निर्धारण करने की कार्यवाही की परिणति तक अधिग्रहण शुरू करने और मध्यस्थ द्वारा इसके निर्णय के लिए एक अंतर्निहित तंत्र प्रदान करता है।

एच.

725 ए.

726 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 11 एस. सी. आर.

केंद्र सरकार और यदि फिर भी असंतुष्ट रहती है, तो न्यायालय द्वारा।अधिनियम, **1956** की धारा **3** ए से **3** एफ के अधिदेश के अनुपालन में, भूमि अधिग्रहण के बाद, मुआवजे की एक राशि का भुगतान किया जाएगा जो अधिनियम, **1956** की धारा **3** जी की उप-धारा **(1)** या **(2)** के तहत सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निर्धारित की जाएगी और कोई भी व्यक्ति जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस तरह निर्धारित राशि से व्यथित है या जो निर्धारित किया जा रहा है वह किसी भी पक्ष को स्वीकार्य नहीं है, किसी भी पक्ष द्वारा दायर किए जा रहे आवेदन पर, अधिनियम, **1956** की धारा **3** जी की उप-धारा **(5)** के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किया जाना है।योजना का विश्लेषण करने के बाद, यह माना जा सकता है कि विधायिका का इरादा अधिनियम, **1956** को अधिग्रहण के उद्देश्य के लिए अपने आप में एक पूर्ण संहिता के रूप में कार्य करने का था, जिसमें संवितरण और विवादों का निपटारा शामिल है और इस निष्कर्ष को अधिनियम की धारा **3** जे को देखते हुए और मजबूत किया गया है, जो अधिनियम, **1956** के तहत अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, **1894** के आवेदन को समाप्त करता है।**[**पैरा **16,17,18] [734-**जी-एच**; 735-**ए-डी**]**

बी.

सी.

डी.

1.2 यह कानून के तय किए गए सिद्धांत हैं कि जब विशेष कानून एक स्व-निहित संहिता निर्धारित करता है, तो सामान्य कानून के अनुप्रयोग को अनिवार्य रूप से बाहर रखा जाएगा। तत्काल मामले में, अधिनियम, **1956** की योजना अधिनियम, **1956** की धारा **3** जी **(5)** और धारा **3** जी की उप-धारा **(6)** के तहत केंद्र सरकार द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के उद्देश्य से अधिनियमित एक विशेष कानून होने के नाते स्वयं स्पष्ट करती है कि अधिनियम **1956** के प्रावधानों के अधीन, अधिनियम **1996** के प्रावधान प्रत्येक मध्यस्थता पर स्पष्ट रूप से उस

हद तक लागू होंगे जहां अधिनियम **1956** शांत है**,** मध्यस्थ सीमित उद्देश्य के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम**, 1996** के प्रावधानों को लागू करते हुए विवाद पर निर्णय लेने का सहारा ले सकता है।लेकिन जहां तक मध्यस्थ की नियुक्ति का संबंध है**,** अधिनियम **1956** की धारा **3** जी की उप**-**धारा **(5),** अधिनियम **1996** की धारा **11** के तहत परिकल्पित शक्ति विशेष रूप से केंद्र सरकार के पास निहित होने के कारण इसका कोई उपयोग नहीं है।**[**पैरा **19] [735-**डी**-**एफ**]**

ई.

एफ.

जी.

1.3 प्रत्यर्थियों की यह दलील कि उन्होंने अधिनियम**, 1996** की धारा **11** के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित रूप से सहारा लिया है**,** इस कारण से स्वीकार नहीं की जा सकती है कि ए की धारा **3** जी **(6)**

एच.

727

भारत का राष्ट्रीय उच्च न्यायालय प्राधिकरण बनाम सैयदाबाद टी कंपनी लिमिटेड और हमारा।

अधिनियम**, 1956** स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि अधिनियम**, 1996** के प्रावधान अधिनियम**, 1956** के प्रावधानों के अधीन लागू होंगे।**"**के अधीन**"** अभिव्यक्ति का उपयोग स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विधायिका का इरादा अधिनियम**, 1956** के प्रावधानों को ओवरराइडिंग प्रभाव देना था**,** जहां यह अधिनियम के तहत मुआवजे की राशि के निर्धारण से संबंधित विवादों से संबंधित है। अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह है कि विधायिका ने अपने विवेक से अधिनियम**, 1996** के प्रावधानों के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति की शक्ति को निरस्त करने का इरादा किया था।**[**पैरा **20] [735-**जी**-**एच**; 736-**ए**]**

बी.

1.4 उच्च न्यायालय अधिनियम**, 1996** की धारा **11** को लागू करते हुए मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए अपनी क्षमता नहीं रख रहा था।**[**पैरा **21] [736-**बी**]**

सी.

1.5 अधिनियम **1956** की धारा **3** जी **(5)** के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति विशेष रूप से केंद्र सरकार के पास निहित होने के कारण**,** एक विशेष अधिनियम होने के कारण**,** मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अधिनियम **1996** की धारा **11 (6)** के तहत दायर आवेदन

विचारणीय नहीं था और अधिनियम**, 1996** के प्रावधानों को इस उद्देश्य के लिए लागू नहीं किया जा सका।**[**पैरा **23] [736-**एफ**]**

डी.

1.6 यह निवेदन कि चूंकि अपीलकर्ता **30** दिनों की अवधि के भीतर अधिनियम**, 1956** की धारा **3** जी **(5)** के संदर्भ में **8** दिसंबर**, 2006** के एक पत्र के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति करने में विफल रहा**,** अकेले उच्च न्यायालय एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए अपनी क्षमता रखता था और **7** मार्च**, 2007** को प्रतिवादी**-**आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था**,** केंद्र सरकार द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति का अधिकार जब्त कर लिया गया है**,** इस कारण से कि केंद्र सरकार को मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए अधिनियम **1956** की धारा **3** जी की उप**-**धारा **(5)** के तहत कोई वैधानिक सीमा प्रदान नहीं की गई है**,** लेकिन यह प्राधिकरण को एक निर्देशित विवेकाधिकार नहीं दे सकता है और इसके अभाव मेंलेकिन जब तक सत्ता विशेष रूप से निहित है

ई.

एफ.

जी.

एच.

ए.

केंद्र सरकार अधिनियम **1956** की धारा **3** जी **(5)** के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अधिनियम **1996** की धारा **11** का कोई प्रावधान नहीं है।**[**पैरा **24] [736-**जी**-**एच**; 737-**ए**-**सी**]**

1.7 मध्यस्थ**,** जिसे केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल**, 2007** में अधिनियम**, 1996** की धारा **11** के तहत आवेदन दायर करने के बाद नियुक्त किया गया था**,** तत्काल कार्यवाही में आक्षेपित आदेश के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति के बाद आगे नहीं बढ़ सका**,** जो भी बाद में अलग हो गया है और अब तक लगभग **12** साल बीत चुके हैं**,** यह अवलोकन करना उचित समझा जाता है कि प्रतिवादी**-**आवेदक द्वारा कोई आवेदन दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है और केंद्र सरकार **30** दिनों की अवधि के भीतर अधिनियम **1956** की धारा **3** जी **(5)** के संदर्भ में एक मध्यस्थ पर विचार करेगी और नियुक्त करेगी।चूंकि मुकदमे में काफी लंबा समय लगा है**,** इसलिए यह देखना उचित है कि केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ उचित समय के भीतर विवाद पर निर्णय ले सकता है और निर्णय ले सकता है**,** लेकिन किसी भी मामले में प्रतिवादी**-**आवेदक द्वारा कार्यवाही में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के छह महीने के बाद नहीं। **[**पैरा **25] [737-**ई**-**एच**]**

बी.

सी.

डी.

1.8 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया जाता है।मध्यस्थ की नियुक्ति अपीलार्थियों द्वारा इंगित शर्तों के अनुसार की जा सकती है।**[**पैरा **26] [738-**ए**]**

ई.

महाप्रबंधक (परियोजना), राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड बनामप्रकाश

चांद प्रधान और अन्य। 2018 की सिविल अपील संख्या 5250 ने 16.05.2018 पर निर्णय लिया-जिस पर भरोसा किया गया।

एफ.

डीप ट्रेडिंग कंपनी बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और

अन्य (2013) (4) एस. सी. सी. 35:[2013] 2 एस. सी. आर. 470-लागू नहीं होता है।

गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम.एस्सार पावर लिमिटेड

2008 (4) एससीसी **755:[2008] 4** एस**.** सी**.** आर**. 822-**संदर्भित।संदर्भित विधि निर्णय

जी.

[2013] 2 एस**.** सी**.** आर**. 470** अभिनिर्धारित अप्रयोज्य पैरा **15 [2008] 4** एस**.** सी**.** आर**. 822** पैरा **22** ए**.**

एच.

729

भारत का राष्ट्रीय उच्च न्यायालय प्राधिकरण बनाम सैयदाबाद टी कंपनी लिमिटेड और हमारा।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2009 की सिविल अपील संख्या 6958-6959

के साथ

2009 की सिविल अपील सं. 6965-6966।

2007 के ए. पी. सं. 77 और 2007 के जी. ए. सं. 2563 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 और <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से

बी.

विकास गोयल, अभिषेक कुमार, राहुल श्याम भंडारी, सुश्री आरुषि गुप्ता, सुश्री भव्य विजय टी., ए. शिव कुमार, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।प्रशांत भूषण, लाल प्रताप सिंह, सुश्री विव्या नागपाल, उमेश प्रताप सिंह, गोविंद जी, सुश्री एन. अन्नपूर्णी, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

रास्टोगी**,** जे।

1. हमारे सामने जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत आवेदन (जिसे इसके बाद "अधिनियम 1996" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 जी (5) (जिसे इसके बाद "अधिनियम 1956" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) को देखते हुए बनाए रखा जा सकता है, जो केंद्र सरकार द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

डी.

2. प्रासंगिक मौलिक तथ्य यह हैं कि मोज़ाह पुरबा मदाती, जे. एल. नंबर 108, पुलिस स्टेशन फ़नसीदेवा, जिला में स्थित "सैयदाबाद टी एस्टेट" में विषय भूमि शामिल है।5 एकड़ क्षेत्रफल वाले दार्जिलिंग का अधिग्रहण अपीलार्थी (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) द्वारा अधिनियम 1956 की धारा 3 (डी) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 22 नवंबर, 2005 की अधिसूचना के माध्यम से राजमार्गों के निर्माण के उद्देश्य से एल. ए. पी. मामला संख्या 4/2004-05 के तहत किया गया था।

ई.

एफ.

3. अधिनियम, 1956 अपने आप में एक व्यापक संहिता है और संसद द्वारा अधिग्रहण और मुआवजे के निर्धारण और इसके संवितरण के लिए अधिनियमित एक विशेष कानून है, जहां अधिनियम, 1956 की धारा 3 जी के तहत प्रदान किए गए तंत्र के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के लिए जमा की गई राशि पर कई दावेदार हैं।यदि धारा 3 जी की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस तरह से निर्धारित राशि किसी भी पक्ष को स्वीकार्य नहीं है, तो किसी भी पक्ष के आवेदन पर राशि का निर्धारण अधिनियम की धारा 3 जी (5) के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा।

जी.

एच.

ए.

उप-धारा (1) या उप-धारा (5) के तहत मुआवजे की राशि का निर्धारण करते समय, मध्यस्थ का कर्तव्य है कि वह अधिनियम, 1956 की धारा 3 जी की उप-धारा (7) के तहत परिकल्पित प्रासंगिक संकेतों को ध्यान में रखे।जहां मध्यस्थ द्वारा निर्धारित राशि अधिनियम, 1956 की धारा 3 जी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि से अधिक है, मध्यस्थ अपने विवेकाधिकार पर धारा 3 जी के तहत कब्जा लेने की तारीख से वास्तविक जमा की तारीख तक धारा 3 एच की उप-धारा (5) के तहत अतिरिक्त राशि पर प्रति वर्ष नौ प्रतिशत ब्याज दे सकता है।

बी.

4. इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक अधिनियम 1956 की धाराओं के उद्धरण निम्नानुसार हैं:-

सी.

"3G. मुआवजे के रूप में देय राशि का निर्धारण।—

(1) .....

(2) .....

(3) .....

डी.

(4) .....

(5) यदि उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि किसी भी पक्ष को स्वीकार्य नहीं है, तो किसी भी पक्ष के आवेदन पर राशि का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा।

ई.

(6) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के प्रावधान इस अधिनियम के तहत प्रत्येक मध्यस्थता पर लागू होंगे।

एफ.

(7) सक्षम प्राधिकारी या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, उप-धारा (1) या उप-धारा (5) के तहत राशि का निर्धारण करते समय, -

(क) धारा 3 क के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को भूमि का बाजार मूल्य;

जी.

(ख) भूमि का कब्जा लेने के समय इच्छुक व्यक्ति द्वारा ऐसी भूमि को अन्य भूमि से अलग करने के कारण हुई क्षति, यदि कोई हो;

(ग) भूमि का कब्जा लेने के समय इच्छुक व्यक्ति द्वारा ए के कारण हुई क्षति, यदि कोई हो,

एच.

731

भारत का राष्ट्रीय उच्च न्यायालय प्राधिकरण बनाम.

सैय्यदाबाद टी कंपनी लिमिटेड और ओआरएस। [आरएएसटीओजी, जे।] ए.

किसी भी तरह से उसकी अन्य अचल संपत्ति या उसकी कमाई को नुकसान पहुँचाने वाला अधिग्रहण;

(घ) यदि भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, इच्छुक व्यक्ति को अपना निवास या व्यवसाय का स्थान बदलने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उचित खर्च, यदि कोई हो, ऐसे परिवर्तन के लिए आकस्मिक है।

बी.

3 एच. जमा और राशि का भुगतान।—

(1) .....

(2) .....

सी.

(3) .....

(4) .....

(5) जहां मध्यस्थ द्वारा धारा 3 जी के तहत निर्धारित राशि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि से अधिक है, मध्यस्थ धारा 3 डी के तहत कब्जा लेने की तारीख से वास्तविक जमा की तारीख तक ऐसी अतिरिक्त राशि पर प्रति वर्ष नौ प्रतिशत ब्याज दे सकता है।

डी.

(6) .....

...

ई.

...

12....."

5. तत्काल मामले में, प्रत्यर्थी-आवेदक ने अधिनियम, 1956 की धारा 3 जी की उप-धारा (1) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के पुरस्कार से असंतुष्ट होने के कारण 8 दिसंबर, 2006 को केंद्र सरकार को धारा 3 जी (5) के संदर्भ में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन दायर किया।जैसा कि आरोप लगाया गया है, चूंकि केंद्र सरकार ने अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर 8 दिसंबर, 2006 के पत्र के संदर्भ में मध्यस्थ की नियुक्ति के उनके अनुरोध का जवाब नहीं दिया है, इसलिए अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) को लागू करते हुए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति को 7 मार्च, 2007 को आवेदन दायर किया गया था।इससे पता चलता है कि मध्यस्थ की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2007 में किसी समय की गई थी। 6.कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि मध्यस्थ की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा धारा के तहत की गई है

एफ.

जी.

एच.

3 अधिनियम, 1956 के जी (5) के बाद जब प्रत्यर्थी-आवेदक ने अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए मुख्य न्यायाधीश/अपने नामित को एक आवेदन दिया था, जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति का अधिकार जब्त हो गया है क्योंकि वह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर करने और कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान मध्यस्थ की नियुक्ति तक मध्यस्थ की नियुक्ति करने में विफल रही, इसे एक वैध नियुक्ति नहीं कहा जा सकता है और इसलिए मामले को 6 जुलाई, 2007 के अपने आदेश के अनुसार मध्यस्थ का नाम रखने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए। 7.6 जुलाई, 2007 के आदेश के पारित होने के तुरंत बाद, अपीलार्थी ने समीक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया और यह उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि अधिनियम, 1956 एक विशेष अधिनियम है जो एक

मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया को निर्धारित करता है, जहां अधिनियम, 1956 की धारा 3 जी (5) के तहत विशेष रूप से केंद्र सरकार के पास शक्ति निहित की जा रही है, अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत किया गया आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं है, लेकिन इसे उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा अधिकार क्षेत्र को लागू करने का एक वैध कारण नहीं माना गया था, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 114 के साथ पठित आदेश 47 नियम 1 के तहत परिकल्पित किया गया था और समीक्षा आवेदन को 27 अगस्त, 2007 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

बी.

सी.

डी.

8. यह ध्यान देने योग्य है कि एकमात्र मध्यस्थ (न्यायमूर्ति पी. एन. सिन्हा), जिन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाहियों की शुरुआत से पहले अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत 6 जुलाई, 2007 के आदेश के अनुसार नियुक्त किया गया था, ने 25 जनवरी, 2008 (अनुलग्नक पी-12) को अपना अलग होने का पत्र भेजा था।

ई.

9. इस न्यायालय को सूचित किया जाता है कि अप्रैल, 2007 में अधिनियम, 1956 की धारा 3 जी (5) के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ, अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के बाद आगे नहीं बढ़ सकता था।कि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, प्रत्यर्थी-आवेदक द्वारा अधिनियम, 1956 की धारा 3 जी की उप-धारा (1) या (2) के तहत दिए गए मुआवजे से व्यथित विवाद पर अब तक निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि मध्यस्थ की नियुक्ति में प्राधिकरण की क्षमता इस बारे में निर्णय लंबित है कि क्या यह अधिनियम, 1956 या अधिनियम, 1996 के तहत होगा जैसा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा हमारे समक्ष आरोपित आदेश के तहत लागू किया गया था।

एफ.

जी.

एच.

733

भारत का राष्ट्रीय उच्च न्यायालय प्राधिकरण बनाम.

सैय्यदाबाद टी कंपनी लिमिटेड और ओआरएस। [आरएएसटीओजी, जे।] ए.

ए.

10. अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री विकास गोयल ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम 1956 एक विशेष अधिनियम होने के नाते अपने आप में एक संहिता है जो न केवल अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रदान करता है, बल्कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजे का निर्धारण करने का तरीका भी प्रदान करता है और कोई भी व्यक्ति, यदि अधिनियम 1956 की धारा 3 जी की उप-धारा (1) या (2) के तहत निर्धारित मुआवजे से पीड़ित है, तो निश्चित रूप से एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकता है, जिसके लिए केंद्र सरकार अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (5) के तहत नियुक्त करने के लिए बाध्य है।लेकिन इससे पहले कि मामला आगे बढ़ाया जा सके, प्रतिवादी-आवेदक ने अधिनियम 1996 की धारा 11 (6) के तहत एक आवेदन दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जो बनाए रखने योग्य नहीं था और यह कानून के तय किए गए सिद्धांत हैं कि विशेष कानून सामान्य कानून पर प्रबल है, अधिनियम 1996 के प्रावधानों को अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (5) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति में केंद्र सरकार की शक्ति को निरस्त करने में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कम से कम एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए लागू नहीं किया जा सकता था और यह उच्च न्यायालय द्वारा की गई कानून में एक स्पष्ट त्रुटि होने के कारण इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

बी.

सी.

डी.

11. उसकी प्रस्तुति के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने इसके दो न्यायाधीशों की पीठ के हाल के फैसले पर भरोसा किया है।

महाप्रबंधक (परियोजना), राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड। बनाम प्रकाश चंद

प्रधान और अन्य ने 16 मई, 2018 को सिविल अपील संख्या 5250 में निर्णय लिया और उसकी सहायता लेते हुए प्रस्तुत किया कि अधिनियम 1996 की धारा 11 (6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोनों आदेश, यानी 6 जुलाई, 2007 और 27 अगस्त, 2007 रद्द किए जाने के योग्य हैं।

ई.

एफ.

12. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील श्री प्रशांत भूषण, तत्काल कार्यवाही में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत करते हैं कि धारा 3 जी की उप-धारा (6) स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित करती है कि अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अधीन, अधिनियम 1996 के प्रावधान अधिनियम, 1956 के तहत प्रत्येक

मध्यस्थता पर लागू होंगे।यदि वह प्राधिकारी जिसे अधिनियम, 1956 की धारा 3 जी (5) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन दायर किया गया था, वह आवेदन प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहा है, जो निर्विवाद रूप से दिसंबर, 2006 था या अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन दायर करने तक, यानी 7 मार्च, 2007, प्रतिवादी था

जी.

एच.

734

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 11 एस सी आर।

अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अधिनियम, 1956 की धारा 3 जी की उप-धारा (6) का सहारा लेना उचित है। 13.विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि अधिनियम, 1956 के तहत अपीलकर्ता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम, 1996 के तहत आवेदन प्रस्तुत करने के बाद एक मध्यस्थ नियुक्त करने का अपना अधिकार खो दिया है और दी गई परिस्थितियों में, अधिनियम 1996 की धारा 11 (6) का आह्वान करते हुए एक मध्यस्थ की नियुक्ति में कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष कोई कानूनी बाधा नहीं थी और उसके प्रस्तुत करने के समर्थन में भरोसा रखा गया था।

बी.

डीप ट्रेडिंग कंपनी बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और अन्य मामले में इस न्यायालय के फैसले पर 1.

14. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और उनकी सहायता से अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

सी.

15. शुरुआत में, हम देख सकते हैं कि इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने महाप्रबंधक (परियोजना) में हाल के फैसले में,

राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम

लिमिटेड मामला (उपर्युक्त), अधिनियम, 1996 की धारा 11 के संदर्भ में अधिनियम 1956 की धारा 3 जी की उप-धारा (5) और (6) के दायरे पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित

किया है कि अधिनियम 1956 एक विशेष अधिनियम है और धारा 3 जी विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक अंतर्निहित तंत्र प्रदान करता है।इसलिए अधिनियम, 1996 की धारा 11 का कोई अनुप्रयोग नहीं है और मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अधिनियम, 1956 की धारा 3 जी (5) के तहत शक्ति विशेष रूप से केंद्र सरकार के पास निहित है और यदि केंद्र सरकार उचित समय के भीतर मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं करती है, तो पक्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करके या इस उद्देश्य के लिए मुकदमा दायर करके उपचार का लाभ उठाना खुला है, लेकिन मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अधिनियम 1996 की धारा 11 का उपाय उपलब्ध नहीं है।

डी.

ई.

एफ.

16. हम एक द्वारा बताई गई कानूनी स्थिति से पूरी तरह सहमत हैं

महाप्रबंधक (परियोजना), राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ।

मामला (ऊपर) लेकिन यह भी जोड़ना चाहते हैं कि अधिनियम, 1956 को संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 23 के तहत राजमार्गों के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति के साथ अधिनियमित किया गया है, जिन्हें संसद द्वारा कानून द्वारा या उनके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।यह एक व्यापक संहिता और एक विशेष अधिनियम है जो न केवल मुआवजे का निर्धारण करने में कार्यवाही की परिणति तक अधिग्रहण शुरू करने में एक अंतर्निहित तंत्र प्रदान करता है।

जी.

1 2013(4) एससीसी 35 ए

एच.

735

भारत का राष्ट्रीय उच्च न्यायालय प्राधिकरण बनाम.

सैय्यदाबाद टी कंपनी लिमिटेड और ओआरएस। [आरएएसटीओजी, जे।] ए.

और मध्यस्थ द्वारा इसका निर्णय केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और यदि अभी भी असंतुष्ट रहता है, तो न्यायालय द्वारा।

17. अधिनियम, 1956 की धारा 3 ए से 3 एफ के अधिदेश के अनुपालन में, भूमि अधिग्रहण के बाद, मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाएगा जो अधिनियम, 1956 की धारा 3 जी की उप-धारा (1) या (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निर्धारित किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस तरह निर्धारित राशि से व्यथित है या जो निर्धारित किया जा रहा है वह किसी भी पक्ष को स्वीकार्य नहीं है, किसी भी पक्ष द्वारा दायर किए जा रहे आवेदन पर, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा अधिनियम, 1956 की धारा 3 जी की उप-धारा (5) के संदर्भ में निर्धारित किया जाना है। 18.योजना का विश्लेषण करने के बाद, यह माना जा सकता है कि विधायिका का इरादा अधिनियम, 1956 को अधिग्रहण के उद्देश्य के लिए अपने आप में एक पूर्ण संहिता के रूप में कार्य करने का था, जिसमें संवितरण और विवादों का निपटारा शामिल है और इस निष्कर्ष को अधिनियम की धारा 3 जे को देखते हुए और मजबूत किया गया है, जो अधिनियम, 1956 के तहत अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के आवेदन को समाप्त करता है। 19.यह कानून के तय किए गए सिद्धांत हैं कि जब विशेष कानून एक स्व-निहित संहिता निर्धारित करता है, तो सामान्य कानून के अनुप्रयोग को अनिवार्य रूप से बाहर रखा जाएगा।तत्काल मामले में, अधिनियम, 1956 की योजना अधिनियम, 1956 की धारा 3 जी (5) और धारा 3 जी की उप-धारा (6) के तहत केंद्र सरकार द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के उद्देश्य से अधिनियमित एक विशेष कानून होने के नाते स्वयं स्पष्ट करती है कि अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अधीन, अधिनियम 1996 के प्रावधान प्रत्येक मध्यस्थता पर स्पष्ट रूप से उस हद तक लागू होंगे जहां अधिनियम 1956 मौन है, मध्यस्थ सीमित उद्देश्य के लिए अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को लागू करते हुए विवाद पर निर्णय लेने का सहारा ले सकता है।लेकिन जहां तक मध्यस्थ की नियुक्ति का संबंध है, अधिनियम 1956 की धारा 3 जी की उप-धारा (5), अधिनियम 1996 की धारा 11 के तहत परिकल्पित शक्ति विशेष रूप से केंद्र सरकार के पास निहित होने के कारण इसका कोई उपयोग नहीं है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

20. प्रत्यर्थियों की यह दलील कि उन्होंने अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित रूप से सहारा लिया है, इस कारण से स्वीकार नहीं की जा सकती है कि अधिनियम, 1956 की धारा 3 जी (6) स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि अधिनियम, 1996 के प्रावधान अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन लागू होंगे।"के अधीन" अभिव्यक्ति का उपयोग स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विधायिका का इरादा अधिनियम, 1956 के प्रावधानों

को ओवरराइडिंग प्रभाव देना था, जहां यह अधिनियम के तहत मुआवजे की राशि के निर्धारण से संबंधित विवादों से संबंधित है। द.

जी.

एच.

अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह है कि विधायिका ने अपने विवेक से अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति की शक्ति को निरस्त करने का इरादा किया था।

21. हमारे सुविचारित विचार में, कलकत्ता उच्च न्यायालय अधिनियम, 1996 की धारा 11 को लागू करते हुए मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए अपनी क्षमता नहीं रख रहा था।

बी.

22. यह प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष पहले ही उठा था कि क्या अधिनियम 1996 की धारा 11 (6) के तहत आवेदन बिजली अधिनियम, 2003 के वैधानिक प्रावधानों को देखते हुए बनाए रखने योग्य है, जो विशेष अधिनियम के लाइसेंसधारियों और उत्पादन करने वाली कंपनियों के बीच विवाद और विशेष रूप से बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1) को देखते हुए है।

सी.

गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में यह न्यायालय। बनाम एस्सार पावर

पैरा 28 में सीमित 2 को निम्नानुसार देखा गयाः-28. धारा 86 (1) (च) एक विशेष प्रावधान है और इसलिए लाइसेंसधारी और उत्पादन करने वाली कंपनियों के बीच विवादों के मध्यस्थता के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 में सामान्य प्रावधान को ओवरराइड करेगा।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि विशेष कानून सामान्य कानून को ओवरराइड करता है।इसलिए, हमारी राय में, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 का इस प्रश्न पर कोई अनुप्रयोग नहीं है कि कौन लाइसेंसधारियों और उत्पादन करने वाली कंपनियों के बीच विवादों का निर्णय/मध्यस्थता कर सकता है, और ऐसी स्थिति में केवल धारा 86 (1) (च) लागू होगी।

डी.

ई.

23. हमारा यह भी विचार है कि अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (5) के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति विशेष रूप से केंद्र सरकार के पास निहित होने के कारण, एक विशेष अधिनियम होने के कारण, मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अधिनियम 1996 की धारा 11 (6) के तहत दायर आवेदन विचारणीय नहीं था और अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को इस उद्देश्य के लिए लागू नहीं किया जा सकता था।

एफ.

24. प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील का यह निवेदन कि चूंकि अपीलकर्ता 30 दिनों की अवधि के भीतर अधिनियम, 1956 की धारा 3 जी (5) के संदर्भ में 8 दिसंबर, 2006 के एक पत्र के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति करने में विफल रहा, अकेले कलकत्ता उच्च न्यायालय एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए अपनी क्षमता रखता था और प्रत्यर्थी-आवेदक द्वारा 7 मार्च, 2007 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था, केंद्र सरकार द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति का अधिकार जब्त कर लिया गया है और डीप ट्रेडिंग कंपनी में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है।

जी.

2 2008(4) एससीसी 755 ए

एच.

737

भारत का राष्ट्रीय उच्च न्यायालय प्राधिकरण बनाम.

सैय्यदाबाद टी कंपनी लिमिटेड और ओआरएस। [आरएएसटीओजी, जे।] ए.

मामला (उपर्युक्त) इस कारण से आधारहीन है कि केंद्र सरकार के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए अधिनियम 1956 की धारा 3 जी की उप-धारा (5) के तहत कोई वैधानिक सीमा प्रदान नहीं की गई है, लेकिन यह प्राधिकरण को एक निर्देशित विवेकाधिकार नहीं दे सकता है और किसी भी वैधानिक सीमा के अभाव में, यह उचित समय के भीतर होना चाहिए और यदि केंद्र सरकार किसी भी पीड़ित पक्ष द्वारा किए जा रहे अनुरोध पर मध्यस्थ नियुक्त करने में अपने वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहती है, तो यह पक्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय या सिविल कोर्ट के रिट अधिकार क्षेत्र में से किसी एक को लागू करने के लिए खुला होगा।लेकिन जब तक अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (5) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए शक्ति विशेष रूप से केंद्र सरकार के पास निहित है, तब तक अधिनियम 1996 की धारा 11 का कोई प्रावधान लागू नहीं होता है।डीप ट्रेडिंग कंपनी मामले (उपरोक्त) में निर्णय, जिस पर विद्वान वकील ने भरोसा रखा है, इस कारण से कोई सहायता नहीं है कि पहला यह कि अधिनियम 1956 के तहत तत्काल मामले की तरह विशेष अधिनियम के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के संदर्भ में कोई विवाद नहीं था और दूसरा, यदि कोई पक्ष प्रचलित

समझौते के खंड 29 के संदर्भ में अपनी नियुक्ति की शक्ति का प्रयोग करने में विफल रहता है, तो अधिनियम 1996 के प्रावधान लागू होंगे और विचार के लिए सवाल यह था कि क्या पक्ष द्वारा अधिनियम 1996 की धारा 11 (6) को लागू करने के बाद मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए पक्ष के अधिकार जब्त हो गए हैं, जो कि हमारे द्वारा पहले ही देखा गया है, तत्काल मामले में विचार के लिए प्रश्न नहीं है।

बी.

सी.

डी.

ई.

25. यह वास्तव में सच है कि मध्यस्थ जिसे केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल, 2007 में अधिनियम 1996 की धारा 11 के तहत आवेदन दायर करने के बाद नियुक्त किया गया था, तत्काल कार्यवाही में आक्षेपित आदेश के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति के बाद आगे नहीं बढ़ सका, जो भी बाद में अलग हो गया है और अब तक लगभग 12 साल बीत चुके हैं, हम यह अवलोकन करना उचित समझते हैं कि प्रतिवादी-आवेदक द्वारा कोई आवेदन दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है और केंद्र सरकार अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (5) के संदर्भ में 30 दिनों की अवधि के भीतर एक मध्यस्थ पर विचार करेगी और नियुक्त करेगी और उत्तरदाताओं को पूर्व सूचना देगी।चूंकि मुकदमे में काफी लंबा समय लगा है, इसलिए हम यह निरीक्षण करना उचित समझते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ उचित समय के भीतर विवाद का निर्णय ले सकता है, लेकिन किसी भी मामले में प्रतिवादी-आवेदक द्वारा कार्यवाही में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के छह महीने के बाद नहीं।

एफ.

जी.

एच.

26. तदनुसार अपील सफल होती हैं और उन्हें अनुमति दी जाती है।उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 2007 और 27 अगस्त, 2007 को पारित आदेशों को इसके द्वारा निरस्त कर दिया जाता है।मध्यस्थ की नियुक्ति अपीलार्थियों द्वारा ऊपर बताए गए शब्दों में की जा सकती है। कोई लागत नहीं।

27. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

बी.

निधि जैन

अपीलों की अनुमति दी गई।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.